संख्या: निग / सारा (पथ)–14–मुकदमा–09–01 / 2022.........................

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक :–

श्री इन्दुभूषण सिंह, तदेन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, राँची (सम्प्रति दिनांक– 30.09.2022 को सेवानिवृत) को उनके द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में कर्तव्यहीनता / अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–49A(i)(a) के तहत अधिसूचना संख्या– 5779(S) दिनांक– 12.11.2009 के द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात् श्री सिंह के विरूद्ध संकल्प सहपठित ज्ञापांक– 2516(S)WE, दिनांक– 12.05.2010 द्वारा असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है एवं श्री कैलाश राम, सचिव (प्रवैधिक), मुख्य अभियंता(यातायात) का कार्यालय, झारखण्ड, रांची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कैलाश राम, सचिव (प्रावैधिक), मुख्य अभियंता(यातायात) का कार्यालय, झारखण्ड, रांची–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 2472(अनु0) दिनांक– 10.12.2010 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. संचालन द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जांच निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री सिंह से पत्रांक– 2262(S)WE दिनांक– 20.04.2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. श्री सिंह के द्वारा पत्रांक– शून्य, दिनांक– 28.04.2011 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरांत श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए अधिसूचना संख्या– 8328(S) दिनांक– 14.12.2011 द्वारा इनके विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया:–

(i) उन्हें वेतनमान के प्रथम प्रक्रम पर पदावनत किया जाता है।

(ii) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम– 97 के तहत उन्हें निलंबन के रूप में बितायी गयी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगा।

इस प्रकार श्री सिंह दिनांक– 12.11.2009 से दिनांक– 13.12.2011 तक निलंबित रहे।

5. श्री सिंह द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन दिनांक– 29.05.2012 समर्पित किया गया। इनके अपील अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपील अभ्यावदेन में कोई ऐसा तथ्य / साक्ष्य नहीं रखा गया जो उन्हें आरोप मुक्त कर सके। फलतः इनके अपील अभ्यावेदन को अधिसूचना संख्या– 5710(S) दिनांक– 17.06.2013 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

6. श्री सिंह द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका W.P.(S) No. 1599/2014 इन्दुभूषण सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 03.11.2020 को आदेश पारित किया गया है। न्यायादेश दिनांक– 03.11.2020 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Para 8. Consequently, the impugned order as contained in Memo no. 8328(s) dated 14-12-2011, whereby the petitioner has been imposed penalty of demotion on the basic pay scale and appellate order as contained in Memo no. 5710(s) dated 17-06-2013, whereby the Appeal preferred by the petitioner against the order of penalty has been rejected, are hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the disciplinary authority with a direction to start the proceeding from the stage of supply the documents to the petitioner and proceed in accordance with law."

7. W.P.(S) No. 1599/2014 इन्दुभूषण सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक– 03.11.2020 के विरूद्ध विभाग द्वारा L.P.A No. 612/2022 – झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम् इन्दुभूषण सिंह दायर किया गया। L.P.A No. 612/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा दि0–26.09.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया है:–

" Para-4 However, two weeks' time is allowed to remove the defects(s) falling which the memo of appeal shall stand dismissed without further reference to the Bench."

8. इसी बीच श्री सिंह द्वारा W.P.(S) No. 1599/2014 में पारित आदेश दिनांक– 03.11.2020 के अनुपालन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अवमाननावाद Cont. Case (Civil) No. 52 of 2022 दायर किया गया।

9. L.P.A No. 612/2022 खारिज किये जाने एवं Cont. Case (Civil) No. 52 of 2022 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 09.02.2024 को पारित आदेश के आलोक में, विभागीय अधिसूचना संख्या– 1064(S) सहपठित ज्ञापांक– 1065(S) दिनांक– 04.03.2024 द्वारा W.P.(S) No. 1599/2014 में पारित आदेश दिनांक– 03.11.2020 के अनुपालन में निम्नांकित निर्णय लिया गया है:–

(i) श्री सिंह पर दण्ड अधिरोपण हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या– 8328(S) दिनांक– 14.12.2011 एवं उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या– 5710(S) दिनांक– 17.06.2013 को विलोपित किया जाता है।

(ii) श्री सिंह के निलंबन अवधि दिनांक– 12.11.2009 से दिनांक– 13.12.2011 तक के संबंध में उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

तद्नुसार विभागीय संकल्प संख्या– 1066(S) दिनांक– 04.03.2024 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

10. उक्त विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या W.P.(S) No. 2711/2024 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 28.04.2025 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:–

"....... 14. Since the departmental proceeding could not have been continued after four months, the conversion of the departmental proceeding under Rule 43(b) of the Pension Rules is also bad. Thus in view of the aforesaid judgment laid down by the Hon'ble Supreme Court, interim order is set aside, the petitioner is entitle of all the consequential monetary benefit which should be paid to him within four months from the date of receipt of the copy of this order.

15. This writ petition stands allowed."

अतएव माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या W.P.(S) No. 2711/2024 में पारित आदेश दिनांक– 27.04.2025 के अनुपालन में निम्न निर्णय लिया जाता है:–

(i) श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या– 1066(S) दिनांक– 04.03.2024 को निरस्त किया जाता है।

(ii) श्री सिंह के दिनांक– 12.11.2009 से दिनांक– 13.12.2011 तक के निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर मानते हुए उक्त अवधि के पूर्ण वेतन तथा भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके भुगतान के क्रम में पूर्व में दिए गए जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

17.06.25

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : निग/सारा (पथ)–14–मुकदमा–09–01/2022 .... **रांची, दिनांक :** 17/06/2025

प्रतिलिपि:–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.06.25

सरकार के विशेष सचिव।